रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112026-277639
CG-DL-E-04112026-277639

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5665] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 29, 2026/कार्तिक 7, 1948
No. 5665] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2026/KARTIKA 7, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5897(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 800 (अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2012 द्वारा, कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 (नया एनएच-67) के किमी 280.300 से किमी 375.740 (होस्पेट-बल्लारी-कर्नाटक/एपी सीमा खंड) तक के कार्य को, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाएगा) को सौंपा गया है;

अतः, अब, समय समय पर संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात "नियम" कहा जाए), के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतदद्वारा, कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 (नया एनएच-67) के हॉस्पेट-बेलारी-कर्नाटक/एपी सीमा खंड के डिजाइन किलोमीटर 280.080 से किलोमीटर 375.450 तक (मौजूदा किलोमीटर 280.300 से किलोमीटर 368.920) के खंड के लिए नीचे दी गई सारणी (1) के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर चार या अधिक लेन वाले खंड के 53.28 कि.मी. (सारणी 2) की निवल सड़क खंड लंबाई एवं समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) 18.14 कि.मी. (1.814 किमी की लंबाई वाली (सारणी-4) के उपयोग

के लिए सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर तथा 10 करोड़ रू. या उससे अधिक की लागत वाले 40.276 कि.मी. (सारणी 3) लंबाई वाले बाईपास के लिए आधार दर के डेढ़ गुणा दर पर शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी -1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (ई.एम.ई) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (एम.सी.एच.) (चार से छह धुरी वाले) (वी.ए. एम.) बहुधुरीय वाहन	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत शुल्क ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात-:

सारणी -2		
टोल प्लाजा का स्थान (चेनेज)	**लंबाई (कि.मी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
कर्नाटक राज्य के बेलारी जिले में कुडुथिनी के पास एनएच-के 67322.180 कि.मी. पर।	40.224 [बाईपास की लंबाई)जिनकी लागत 10 करोड़ या उससे अधिक (और संरचनाओं की लंबाई)> 60मीटर [(को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
कर्नाटक राज्य के बेलारी जिले में जोलाद्रशी के पास एनएच- के 67374.710 कि.मी. पर।	13.056 [बाईपास की लंबाई)जिनकी लागत 10 करोड़ या उससे अधिक (और संरचनाओं की लंबाई)> 60मीटर [(को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
कुल	**53.28 किमी**	

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए ऐसे शुल्क प्लाजाओ के अंतर्गत विनिर्दिष्ट बाईपास की लंबाई हेतु शुल्क भी देय और संदेय होगा -:

तालिका -3						
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	**बाईपास का नाम**	**डिज़ाइन चैनेज**		**बाईपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है**		**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
		पर आरंभ होते हुए	**पर मिलते हुए**	लंबाई (कि.मी में)	लागत (करोड़ रुपए में)	

कर्नाटक राज्य के बेलारी जिले में कुडुथिनी के पास एनएच-67 के कि.मी. 322.180 पर।	होस्पेट	280.080	288.000	7.920	76.63	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	कुडुथिनी	323.000	327.120	4.120	40.55	
		उप कुल		**12.040**		
कर्नाटक राज्य के बेलारी जिले में जोलाद्रशी के पास एनएच -67 के कि.मी. 374.710 पर।	बेलारी	333.060	361.550	28.236	218.71	
		उप कुल		**28.236**		
		कुल योग		**40.276**		

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा :-

तालिका -4			
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चैनेज)	**सड़क की लंबाई के समान परिवर्तित अवसंरचना की लंबाई (कि.मी. में)**	**समकक्ष सड़क लंबाई (कि.मी. में)**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
कर्नाटक राज्य के बेलारी जिले में कुडुथिनी के पास एनएच-67 के कि.मी. 322.180 पर।	0.716^	7.160	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
कर्नाटक राज्य के बेलारी जिले में जोलाद्रशी के पास एनएच-67 के कि.मी. 374.710 पर।	1.098^	10.98	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
कुल	**1.814**	**18.14**	

^ 4 और उससे अधिक लेन वाली अवसंरचनाओं (60 मीटर से अधिक लंबाई) का विवरण निम्नानुसार हैं: -

क्र. सं.	**डिजाइन चैनेज**		**अवसंरचना का प्रकार**	**लंबाई (किमी में)**
	किमी से	**किमी तक**		
शुल्क प्लाज़ा, किमी. 322.180 पर				
1	289.339	289.428	आरओबी	0.052#
2	293.140	293.360	वायडक्ट सहित वीयूपी	0.220
3	311.779	311.919	बड़ा पुल	0.140
4	314.070	314.374	आरओबी	0.304
			कुल	**0.716**
शुल्क प्लाज़ा, किमी. 374.710 पर				
5	334.330	334.440	फ्लाईओवर	0.110
6	339.100	339.180	फ्लाईओवर	0.080

7	344.673	344.737	आरओबी	0.064
8	363.029	363.653	बड़ा पुल	0.624
9	364.017	364.237	वायडक्ट सहित वीयूपी	0.220
			कुल	**1.098**
कुल योग (किमी)				**1.814**

कैरिजवे के दोनों ओर मौजूद आरओबी की औसत लंबाई पर विचार किया जाता है।

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 360/- रुपए (तीन सौ साठ रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी 5-

संदेय धनराशि	**अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**विधिमान्यता की अवधि**
एक तरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. शुल्क प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1847.87 करोड़ रुपए है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. परियोजना-11016(93)/1/2025-पीआईयू होसेपेट/ ई -252938]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2026

S.O. 5897(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 800 (E) dated the 11th April, 2012 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km 280.300 to Km 375.740 (Hospet-Ballari-Karnataka/AP Border section) of National Highway No. 63 (New NH-67) in the State of Karnataka, to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules") and amended from time to time (herein after referred to as the "Rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 (here in after referred to as " base rate") for net road section length of 53.28 km at (Table-2), and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 18.14 kms (having length of 1.814 kms) (Table-4) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 40.276 km (Table-3) costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four or more lane of Hospet-Bellary-Karnataka/AP Border Section from design kilometer 280.080 to kilometer 375.450 (existing Km. 280.300 to Km 368.920) of National Highway number No. 63 (New NH-67) in the State of Karnataka and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1	
Type of Vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	**(2)**
Car , Jeep , Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment's (EME) or Multi Axle Vehicles (MAV) (Four to Six axles)	3.45
Oversized Vehicles (Seven or more axles)	4.20

1. The Fees to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza(s) for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:-

Table 2		
Location of Fee Plaza (Chainage)	**Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At Des.km. 322.180 of NH-67 near Kuduthini in Ballari district of Karnataka State	40.224 [Excluding length of bypass (costing≥ Rs.10Cr.) and lengt of structure (>60m)]	100% for four or more Lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Des. Km. 374.710 of NH-67 near Joladrashi in Ballari district of Karnataka State	13.056 [Excluding length of Bypass (costing≥ Rs. 10Cr.) and length of structure (>60m)]	100% for four or more Lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
Total	**53.28 km**	

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following Bypass sections having cost more Rs. 10 Cr. or more at the following Fee Plaza(s), for net bypass length specified for such fee plaza(s) :-

Table-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	**Name of the Bypass**	**Des. Chainage**		**Length and Cost of bypass for which additional fee is payable**		**Rate at which fee is payable**
		Taking off	**Merging at**	**Length (in Km)**	**Cost (in Rs. Crore)**	
						150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Des.km. 322.180 of NH-67 near Kudutini in Ballari district of Karnataka State	Hospet	280.080	288.000	7.920	76.63	
	Kudithini	323.000	327.120	4.120	40.55	
		S. Total		**12.040**		
At Des. Km. 374.710 of NH-67 near Joladrashi in Ballari district of Karnataka State	Ballari	333.060	361.550	28.236	218.71	
		S.Total		**28.236**		
		Grand Total		**40.276**		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structure having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structure into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structure by an equalisation factor of 10:-

Table 4			
Location of Fee Plaza (Chainage)	**Length of structure (in km) (>60m) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km)**	**Rate at which fee is payable**
At Des. km. 322.180 of NH-67 near Kudutini in Ballari district of Karnataka State	0.716^	7.160	100% for four or more Lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Des. Km. 374.710 of NH-67 near Joladrashi in Ballari district of Karnataka State	1.098^	10.98	100% for four or more Lane, of the base rates mentioned in Table-1 above.
Total	**1.814**	**18.14**	

^The details of 4 lane and above structures (>60m length) are as under:-

S.No.	**Design Chainage**		**Type of structure**	**Length (in Km)**
	From Km	**To Km**		
For Fee plaza at Km. 322.180				
1	289.339	289.428	ROB	0.052#
2	293.140	293.360	VUP with Viaduct	0.220
3	311.779	311.919	Major Bridge	0.140
4	314.070	314.374	ROB	0.304
			Total	**0.716**
For Fee plaza at Km. 374.710				
5	334.330	334.440	Flyover	0.110
6	339.100	339.180	Flyover	0.080
7	344.673	344.737	ROB	0.064
8	363.029	363.653	Major Bridge	0.624
9	364.017	364.237	VUP with Viaduct	0.220
			Total	**1.098**
Grand Total (km)				**1.814**

avg length of ROB present on both sides of carriageway is considered.

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-Commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 360 (Rupees Three Hundred and sixty Only) for the year 2026-27 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Table-5

Amount payable	**Maximum number of one way Journey allowed**	**Period of Validity**
One and half-times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified rule 10 of the said rules.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc., shall be as per definitions specified in, the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language, accordingly.

11. The estimated capital cost of the Project is Rs. 1847.87 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. PROJ-11016(93)/1/2025-PIU Hosepet/E-252938]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.11.04 14:54:57 +05'30'